दिनांक 20.12.2018

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

'25 हजार अर्थदण्ड के साथ, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग पर निगम भिलाई ने की बड़ी कार्यवाही'

भिलाईनगर/ आयुक्त एस0के0 सुंदरानी के पास आये दिन शिकायत मिल रही है कि शासन द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग एवं प्लास्टिक से बने सामग्री चोरी–छिपे बेची जा रही है, जो स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक है। आयुक्त सुंदरानी के निर्देश पर निगम भिलाई द्वारा विशेष दल बनाकर थोक विक्रेता अमित ट्रेडर्स, भारत प्लास्टिक, के यहां दबिश दी गई। वहां पर बहुत सारे प्रतिबंधित प्लास्टिक के बने सामग्री प्लास्टिक के थैले, कप, ग्लास, प्लेट, चम्मच इत्यादि पाई गई जिस पर कार्रवाई करते हुए अमित ट्रेडर्स से 25,000 अर्थदंड वसूल की गई।

शासन के निर्देशानुसार आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.07.2017 से कोई भी व्यक्ति जिसमें विज्ञापनकर्ता, दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता, व्यापारी, फेरी लगाने वाले आदि सम्मिलित है प्लास्टिक कैरीबैग, पी0वी0सी0 एवं क्लोरिन युक्त प्लास्टिक अर्थात् विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री पी0वी0सी0 के बने बैनर, फ्लैक्स, होर्डिग्स, फोर्म, बोर्ड तथा खानपान के प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुएं कप, ग्लास, प्लेट, बाउल, एवं चम्मच, का तत्काल प्रभाव से विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग छ0ग0 में नहीं किया जा सकता है यह पूर्ण रुप से प्रतिबंधित है।

आयुक्त श्री सुंदरानी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि प्लास्टिक से बनें सामग्री का उपयोग न करें यह हमारे पर्यावरण तथा स्वास्थ्य के लिए बहुत की हानिकारक है सबके सहयोग से ही शहर को स्वच्छ रखा जा सकता है। जब्ती कार्यवाही के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी आई0एल0 यादव, जोन आयुक्त संजय बागड़े, तोड़फोड़ प्रभारी अधिकारी हरिचरण अरोरा, अधिकारी प्रकाश अग्रवाल, बालकृष्ण नायडू, अजय शुक्ला, रामायण सिंह, राजेश गुप्ता, यशवंत मस्करे, कन्हैया यादव, एवं तोड़फोड़ दस्ता के दल उपस्थित रहें।

जनसम्पर्क अधिकारी